

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 399/19 वाद

GCMS NO : 2019/00568

पूर्व प्रकरण संख्या : 172/13 वाद

श्री शंकरलाल पिता कालूलाल जी (कलाल) निवासी नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. मृतक मांगीलाल पिता कालूलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई. त गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) के बजाय :-
 - 1/1. कैलाशचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
 - 1/2. गणेशलाल पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
 - 1/3. कमलेश पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
 - 1/4. श्रीमती पुष्पा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री भंवरलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर
 - 1/5. श्रीमती मनीषा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री रामलाल चौधरी निवासी गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर
 - 1/6. श्रीमती उमा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री रमेश चौधरी निवासी तितरडी, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:- श्री कन्हैयालाल चौड़िया अधिवक्ता प्रतिवादी



निर्णय

दिनांक : 08.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नाई तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 1566, 1567, 1568, 1569, 1604 कुल 5 रकबा 0.9150 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत मौके पर विभाजन नहीं होने से आये दिन विवाद होता रहता है। वादकरण दिनांक 14.06.2013 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवाड़ा हेतु कहने पर उनके द्वारा मना करने पर उत्पन्न हुआ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद रेसज्युडिकेटा से बाधित होने से वादी का वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट कर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु निवेदन किया। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया गया।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पक्षकारों की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को सूचित कर पत्रांक: राजस्व/पी.डी./2021/1397 दिनांक 21.10.2021 को बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत बंटवाड़ा रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नहीं की गई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री, बंटवाड़ा प्रस्ताव के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा जारी नियम, परिपत्र, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953 के नियम 18 व 21 का ध्यानपूर्वक अध्ययन का तहसीलदार द्वारा जारी बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभयपक्ष बंटवाड़ा रिपोर्ट पर सहमत होने से बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार :-

1. कैलाशचन्द्र, गणेशलाल, कमलेश, पुष्पादेवी, उमादेवी, मंशाबाई पिता मांगीलाल, पन्नाबाई, पत्नि स्व. मांगीलाल कलाल सा.देह. हि.ब. खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
1566/1	0.3300	भु. का.	1.91
1567/1	0.3300	भु. का. क.	0.09
1604/1	0.0975	भु. का. क.	0.29
किता : 3	रकबा : 0.4575		लगान : 0.95

2. शंकरलाल पुत्र कालुलाल सा. देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
1566/2	0.0250	भु. का.	0.15
1567/2	0.1650	भु. का. क.	0.48
1568	0.0100	भु. का. क.	0.03
1569	0.1600	भु. का. क.	0.46
1604/2	0.0975	भु. का. क.	0.28
किता : 5	रकबा : 0.4575		लगान : 1.40

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा नाई, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 1566, 1567, 1568, 1569, 1604 कुल किता 5 रकबा 0.9150 हैक्टर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)

गिर्वा- उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. मुकद्मा 399/2019 सन 2019 सीगह वाद श्री शंकरलाल पिता कालुलाल जी (कलाल) निवासी नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) बनाम मृतक मांगीलाल पिता कालूलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई. तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) के बजाय :- (1/1) कैलाशचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (1/2) गणेशलाल पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (1/3) कमलेश पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी नाई, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (1/4) श्रीमती पुष्पा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री भंवरलाल चौधरी, आयु वयस्क, निवासी गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर (1/5) श्रीमती मनीपा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री रामलाल चौधरी, निवासी गोगुन्दा, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर (1/6) श्रीमती उमा पिता स्व. मांगीलाल चौधरी, पत्नी श्री रमेश चौधरी निवासी तितरडी, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी अधिवक्ता कन्हैयालाल चौडिया की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

1. कैलाशचन्द्र, गणेशलाल, कमलेश, पुष्पादेवी, उमादेवी, मंशाबाई पिता मांगीलाल, पन्नाबाई, पत्नि स्व. मांगीलाल कलाल सा.देह. हि.ब. खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
1566/1	0.3300	भु. का.	1.91
1567/1	0.3300	भु. का. क.	0.09
1604/1	0.0975	भु. का. क.	0.29
किता : 3	रकबा : 0.4575		लगान : 0.95

2. शंकरलाल पुत्र कालुलाल सा. देह खातेदार :-

आ.स.	रकबा	किस्म	लगान
1566/2	0.0250	भु. का.	0.15
1567/2	0.1650	भु. का. क.	0.48
1568	0.0100	भु. का. क.	0.03
1569	0.1600	भु. का. क.	0.46
1604/2	0.0975	भु. का. क.	0.28
किता : 5	रकबा : 0.4575		लगान : 1.40

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व मौजा नाई, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 1566, 1567, 1568, 1569, 1604 कुल किता 5 रकबा 0.9150 हैक्टर भूमि का तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वाराको दी जाए।

यह आज तारीख8..... माह5... सन्2024..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर	—	—	मेहनताना वकील) पर	—	—
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		